

बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

अधिसूचना

अधि० सं०:- ५०५९/७८ ग्रा०वि०, पटना, दिनांक:- ०९/०५/२०२५
ग्रा०वि०-३/स्था०-०१-१४२/२०२४

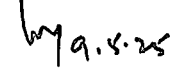
जिला पदाधिकारी, मुंगेर के पत्रांक १३ दिनांक १७.०१.२०२५ द्वारा श्री कुमार देवव्रत, परीक्ष्यमान ग्रामीण विकास पदाधिकारी, मुंगेर का बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा ६९वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर बिहार मद्यनिषेध सेवा के अधीन परीक्ष्यमान अधीक्षक, मद्यनिषेध के पद पर चयन होने के फलस्वरूप चयनित पद पर योगदान करने हेतु दिनांक ३०.१२.२०२४ के पूर्वाह्न से ग्रामीण विकास पदाधिकारी के पद से विरमित करने का अनुरोध प्राप्त है।

२. जिला से प्राप्त अनुरोध के आलोक में श्री कुमार देवव्रत (अनुक्रमांक-३७८४९३/ मेघा क्रमांक-३२६), परीक्ष्यमान ग्रामीण विकास पदाधिकारी, मुंगेर को बिहार मद्यनिषेध सेवा के अधीन परीक्ष्यमान अधीक्षक, मद्यनिषेध के पद पर योगदान देने हेतु दिनांक ३०.१२.२०२४ के पूर्वाह्न से निम्नांकित शर्तों के साथ विरमित किया जाय :-

- (i) ग्रामीण विकास पदाधिकारी के रूप में बितायी गयी कर्तव्य अवधि का वेतनादि का भुगतान देय होगा।
- (ii) बिहार सेवा संहिता के नियम-१५७ के तहत श्री कुमार देवव्रत घोषणा पत्र समर्पित करेंगे कि इनके विरुद्ध किसी प्रकार का बकाया आदि नहीं है।

३. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

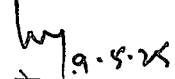

(मन्जु प्रसाद)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक:- ५०५९/७८ दिनांक:- ०९/०५/२०२५

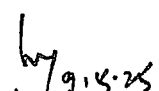
ग्रा०वि०-३/स्था०-०१-१४२/२०२४

प्रतिलिपि- प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कौषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित।


सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक:- ५०५९/७८ दिनांक:- ०९/०५/२०२५

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/ प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को० E-mail ID- payslipsection@gmail.com) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

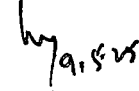

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक:- 4059/28

दिनांक:- 09/05/2025

प्रतिलिपि:- जिला पदाधिकारी, मुंगेर/ उप विकास आयुक्त, मुंगेर/ जिला कोषागार पदाधिकारी, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

2. जिला पदाधिकारी, मुंगेर से अनुरोध है कि श्री कुमार देवव्रत, परीक्ष्यमान ग्रामीण विकास पदाधिकारी, मुंगेर से सेवा संहिता के नियम 157 के तहत इनके विरुद्ध किसी प्रकार का बकाया आदि नहीं है, से संबंधित घोषणा पत्र प्राप्त कर अविलंब इन्हें चयनित पद पर योगदान देने हेतु विरमित करने की कृपा की जाय ।



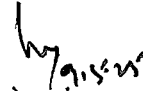
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक:- 4059/28

दिनांक:- 09/05/2025

प्रतिलिपि:- श्री कुमार देवव्रत, परीक्ष्यमान ग्रामीण विकास पदाधिकारी, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

2. निदेशित किया जाता है कि बिहार सेवा संहिता के नियम 157 के तहत जिला पदाधिकारी, मुंगेर को घोषणा पत्र समर्पित करेंगे कि आपके विरुद्ध किसी प्रकार का बकाया आदि नहीं है।

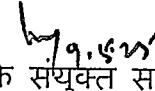


सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक:- 4059/28

दिनांक:- 09/05/2025

प्रतिलिपि:- उप सचिव, मद्यनिषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

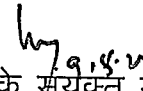


सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक:- 4059/28

दिनांक:- 09/05/2025

प्रतिलिपि:- सचिव के प्रधान आप्त सचिव/ प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा-14/ आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना (विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ) को सूचनार्थ प्रेषित ।



सरकार के संयुक्त सचिव